

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 जून 2019—ज्येष्ठ 11, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

अधि. क्र. 05-एफ-1-1-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियमों 20-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“20-क जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा:—

किसी निर्वाचन के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस अध्याय के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की सूचना की तारीख को तथा से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों की घोषणा किए जाने की तारीख के साथ समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे अधिकारी, उस कालावधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

अधि. क्र. 05-एफ-1-01-2019-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 05-एफ-1-01-2019-अठारह-3, दिनांक 1 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 1st June 2019

No. 05-F-1-1-2019-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, with the consultation of the State Election Commission, Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 20-A, the following rule shall be substituted, namely:—

“20-A. District Election Officer (Municipality), Returning Officer, Presiding Officer etc. Shall be deemed to be on deputation in Election Commission:—

District Election Officer (Municipality), Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Polling Officer and any other Officer appointed under this chapter for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from the date of notice of election and ending with the date of declaration of the results of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.